भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 489
9 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तपेदिक के रोगी

489. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हर वर्ष 20-25 लाख तपेदिक के नए रोगियों/मामलों का पता चलता है और देश में तपेदिक के करीब 14 लाख सक्रिय रोगी हैं तथा तपेदिक के कारण प्रति वर्ष चार लाख रोगियों की मृत्यु होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2021 के दौरान पिछले वर्ष (अर्थात 2020) की तुलना में तपेदिक के 181 अधिक मामले सामने आए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(ग) वर्ष 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के लिए 'निक्षय मित्र" पहल के अंतर्गत उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार वर्ष 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है और यदि हां, तो आज की तिथि तक किए गए प्रयासों/सामने आई बाधाओं और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(1) वर्ष 2020, 2021 और 2022 (जनवरी-अक्टूबर) में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत सूचित क्षयरोग के मामलों और सूचित क्षयरोग से होने वाली मौतों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**क्षयरोग के सूचित मामलों की संख्या**	**क्षयरोग से होने वाली मौतों की संख्या***
2020	1805670	89823

2021	2135830	76002
2022 (जनवरी - अक्टूबर)	2016796	73551
***वर्ष में रिपोर्ट किए गए आंकड़े पिछले वर्ष के दौरान सूचित मामलों से संबंधित हैं।**		

सूचित क्षयरोग मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **ब्यौरा अनुलग्नक-I** पर है और क्षय रोग से होने वाली मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश **अनुलग्नक-II** पर है।

(ख) वर्ष 2020 (18.05 लाख) की तुलना में वर्ष 2021 में एनटीईपी के अंतर्गत सूचित क्षय रोग मामलों की संख्या में 18 प्रतिशत (21.35 लाख) की वृद्धि हुई है। एनटीईपी के तहत सूचित क्षय रोग मामलों की संख्या में वृद्धि क्षयरोग निदान के विकेंद्रीकरण, सक्रिय मामलों का पता लगानेके लिए कार्यक्रम द्वारा किए गए प्रयासों में वृद्धि, निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और कोविड-पूर्व स्तर तक पहुंचने के लिए विशिष्ट कार्य नीतियों के कारण हुई है।

(ग) वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के लिए निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. क्षय रोगियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर,, 2022 को प्रधान मंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्षय रोगियों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना था ।

ख. नि: क्षय 2.0 पोर्टल विकसित किया गया है और समुदाय को नि:क्षय मित्र के रूप में पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है

ग. इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित किए गए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं।

घ. राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं।

(घ) वैश्विक क्षयरोग रिपोर्ट, 2022 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना 2017-25 के कार्यान्वयन के साथ, भारत में क्षयरोग के मामले वर्ष 2015 में एक लाख की आबादी पर 256 से 18% कम होकर एक लाख की आबादी पर 210 हो गए हैं, जो 11% के वैश्विक औसत से बेहतर 7 प्रतिशत प्वाइंट है। चुनौतियों का सामना करने और वर्ष 2025 तक एसडीजी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:-

- उच्च भार वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्रवाईयों के लिए राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजना
- क्षयरोग प्रतिरोधक दवा सहित क्षयरोग के मरीजों के लिए नि:शुल्क दवाओं और निदान का प्रावधान
- प्रमुखत: संवेदनशील और अन्य रोग से ग्रसित जनसंख्या में सक्रिय क्षयरोग मामलों को ढूंढने का अभियान
- समुदाय के निकट स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण करने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के साथ समेकन ।
- क्षयरोग मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी ।
- मोलिक्यूलर निदान प्रयोगशालाओं को उप जिला स्तरों तक बढाना ।
- क्षयरोग मरीजों को पोषाहार सहायता देने हेतु निक्षय पोषण योजना।
- सामाजिक कलंक दूर करने के लिए गहन आई.ई.सी. अभियान, सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना।
- समान मंत्रालयों की संलिप्तता सहित बहुक्षेत्रीय अनुक्रिया
- फुफ्फुसी क्षयरोग के संपर्क तक क्षयरोग निवारक थैरेपी को बढ़ाना।
- वेब आधारित पोर्टल नि-क्षय के माध्यम से सूचित क्षयरोग के मामलों की पता लगाना।

अनुलग्नक-I

सूचित क्षयरोग के मामालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्रं सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचना-2020	अधिसूचना-2021	अधिसूचना 2022 (जनवरी-अक्टूबर)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	478	507	465
2.	आंध्र प्रदेश	64065	86832	77240
3.	अरुणाचल प्रदेश	2522	2724	2463
4.	असम	35261	37641	39550
5.	बिहार	98994	131703	131859
6.	चंडीगढ़	4294	4720	5059
7.	छत्तीसगढ़	29339	32416	31287
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	965	1013	1202
9.	दिल्ली	86842	103038	92682
10.	गोवा	1660	2018	1710
11.	गुजरात	120560	144731	125786
12.	हरियाणा	62697	69083	64437
13.	हिमाचल प्रदेश	13424	14492	13666
14.	जम्मू और कश्मीर	8830	10826	10067
15.	झारखंड	45505	52179	48036

16.	कर्नाटक	65785	72435	66565
17.	केरल	20835	21872	19618
18.	लद्दाख	239	291	264
19.	लक्षद्वीप	20	12	7
20.	मध्य प्रदेश	137648	166346	156530
21.	महाराष्ट्र	159663	199976	195113
22.	मणिपुर	1563	1793	2175
23.	मेघालय	4139	4152	4280
24.	मिजोरम	2334	1749	1795
25.	नागालैंड	3487	3648	3578
26.	ओडिशा	45628	52381	50521
27.	पुदुचेरी	2762	3444	3153
28.	पंजाब	46198	50142	47041
29.	राजस्थान	137343	149225	143204
30.	सिक्किम	1326	1373	1180

31.	तमिलनाडु	70304	82823	77619
32.	तेलंगाना	63209	60714	56795
33.	त्रिपुरा	2071	2543	2492
34.	उत्तर प्रदेश	366641	453712	430826
35.	उत्तराखंड	20000	22789	23569
36.	पश्चिम बंगाल	79039	90487	84962

अनुलग्नक-II

क्षय रोग से संबंधित मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्रं सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतें-2020 **	मौतों की संख्या-2021 **	मौतों की संख्या 2022 (जनवरी-अक्टूबर)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25	16	10
2.	आंध्र प्रदेश	3585	2490	1903
3.	अरुणाचल प्रदेश	64	78	58
4.	असम	1840	1422	1365
5.	बिहार	2975	3341	4055
6.	चंडीगढ़	114	129	104
7.	छत्तीसगढ़	1603	1380	1488
8.	दादरा और नाागर हवेली और दमन और दीव	25	17	25
9.	दिल्ली	2111	2008	1902
10.	गोवा	72	89	147
11.	गुजरात	6870	5472	5764
12.	हरियाणा	2809	2638	2565
13.	हिमाचल प्रदेश	837	723	735
14.	जम्मू और कश्मीर	295	309	356
15.	झारखंड	1314	1568	1594
16.	कर्नाटक	5605	4490	4338
17.	केरल	1828	1668	1458
18.	लद्दाख	23	19	21
19.	लक्षद्वीप	2	0	1
20.	मध्य प्रदेश	5485	4795	5547
21.	महाराष्ट्र	8785	6988	6270
22.	मणिपुर	74	55	54
23.	मेघालय	186	185	156
24.	मिजोरम	48	50	61

25.	नागालैंड	108	97	96
26.	ओडिशा	2738	2506	2450
27.	पुदुचेरी	116	80	63
28.	पंजाब	2824	2667	2244
29.	राजस्थान	4767	4616	4137
30.	सिक्किम	45	45	36
31.	तमिलनाडु	5365	4050	4003
32.	तेलंगाना	2392	1876	1521
33.	त्रिपुरा	173	159	129
34.	उत्तर प्रदेश	18409	14913	14010
35.	उत्तराखंड	894	743	719
36.	पश्चिम बंगाल	5417	4320	4166

**** इस वर्ष के दौरान सूचित मामलों के आंकड़े गत वर्ष में सूचित मामलों से संबंधित हैं।**